(3)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–464/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

इसरायल डेरे संगा.............................आयेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

ब्रजकिशोर गुण्डा...क्रेता

बनाम

राज्य सरकार...द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23.02.2024	(see below)	

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती इसरायल डेरे संगा पिता/पति स्व0 जोहन डेरे संगा ग्राम–मान्हु, पो0–गुटजोरा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
मान्हु	235	02	147	1.24

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती इसरायल डेरे संगा पिता/पति स्व0 जोहन डेरे संगा ग्राम–मान्हु, पो0–गुटजोरा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को कृषि कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती व्रज किशोर मुण्डा पिता/पति शीवा मुण्डा ग्राम–तिरला, पो0–खूँटी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 0559559526 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 29 दिनांक 12.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम इआकुब पाहन वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के परपोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 4 पर जमावंदी दर्ज है।

(4)

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को कृषि कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 520 दिनांक 11.10.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2021/232461 दिनांक 30.09.2021 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2021/383356 दिनांक 30.09.2021 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 29 दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती इसरायल डेरे संगा पिता/पति स्व0 जोहन डेरे संगा ग्राम–मान्हु, पो0–गुटजोरा, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती ब्रज किशोर मुण्डा पिता/पति शीबा मुण्डा ग्राम–तिरला, पो0–खूँटी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के साथ ग्राम मान्हू के खाता सं0 02, खेसरा संख्या 147, कुल रकबा 1. 24 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

23/02/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 12:09:41 +05:30
Location: 192.168.1.104